


राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114



email: rajssa_cmece@yahoo.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : प. 15 (28) राप्राशिप/जय/सामु.गति/एसएमसी/2017-18/

844

दिनांक : 27/4/17

जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय :- विद्यालय प्रबन्धन समिति के पुनर्गठन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-21 के प्रावधानानुसार राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन करने का प्रावधान है। प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं.2(2) शिक्षा-1/प्राशि/03 दिनांक 21.4.2010 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देश की अनुपालना में राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.15(28)राप्राशिप/जय/सामु.गति/एसएमसी/2010/20618 दिनांक 21.06.2010 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

संयुक्त शासन सचिव महोदय के पत्रांक प. 2 (2) शिक्षा-1/प्राशि./2003 जयपुर दिनांक 21.06.2016 के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का संशोधित संविधान एवं कर्तव्य, पूर्व में जारी समस्त आज्ञा/आदेश के अतिक्रमण में जारी करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबंधन समिति के विधान एवं नियमावली के अनुसार इसकी कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो वर्ष हैं। अतः जिन विद्यालयों में कार्यकारिणी समिति का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है वहां सम्बन्धित PEEO (Panchayat Elementary Education Officers) के पर्यवेक्षण में पुनर्गठन किया जाना सुनिश्चित करें। पुनर्गठन करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाए कि एसएमसी की साधारण सभा को पुनर्गठन की पूर्ण जानकारी हो तथा साधारण सभा की बैठक बुलाकर नियमानुसार पुनर्गठन कराया जाए। उपरोक्त कार्य 5 मई को किया जाना सुनिश्चित करें।

आपके सुलभ संदर्भ हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं आंशिक संशोधन आदेश संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डी.जोगाराम)

आयुक्त

क्रमांक : प. 15 (28) राप्राशिप/जय/सामु.गति/एसएमसी/2017-18/

845

दिनांक : 27/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर।
4. जिला प्रभारी अधिकारी, राप्राशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, को भेज कर लेख है कि समस्त विद्यालयों जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय को भी शामिल करे एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. PEEO राजस्थान सरकार के समस्त जिले, नियमानुसार पुनर्गठन किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त

www.rajteachers.com